

अधिका
 न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/01/2022

तारीख रजु.....

ममता

बनाम

खुबी वगीरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 832 वाके ग्राम साँखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 22.04.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.04.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 कठूमर (अलवर)

22/4/22

वकील पार्टी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तलबी जारी हो रजि0 डाक

17/6/22

उपखण्ड अधिकारी
 कठूमर (अलवर)

उ
स्वयं अधिकारी
कर्म (अवकाश)

8/2/29

ममता

पत्रावली आज वहील जारी के प्रोपस पर
मूल काउ के साथ फेस हुई। वहील जारी
ने प्रोपस फेस क। अपने प्रोपस पर
को रही हरेत पर खण्डित मरये जाने क
निवेदन दिया गया पत्रावली व प्रोपस - पर
को अवकाश दिया गया कर्म। जारी का
प्रोपस - पर प्रोपस वहील जारी के प्रोपस
पर रही हरेत पर खण्डित दिया जाता है

प्रोपस का
कर्म

पत्रावली प्रोपस शुभा (होका - कर्म) निक
के मूल काउ के साथ लंबे री) शुभा

स्वयं अधिकारी
बंगूर (अवकाश)